# …लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

| प्रार्थना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
|---|---|---|---|
| 29/021 | 136 LR Act | बमारा | छबड़ा |

| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| रतनलाल | बनाम | राज0 सरकार (2021/169) |

वकील :-

## आदेश पत्रक

वकील :-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| 21/9/21 | अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26/10/21 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| | **प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021** | |
| 11/10/21 | पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को कैम्प कचहरी पर पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगणों भोजी बाई, कल्लूराम राम रतन के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2076–2079 के खाता संख्या 163 में गंगोल्या दर्ज है जोकि अशुद्ध नाम है। प्रार्थीगण अशुद्ध नाम गंगोल्या के स्थान पर गंगाराम दर्ज करवाना चाहते है जो सही है प्रार्थीगण के पिता का नाम गंगोल्या के स्थान पर गंगाराम दर्ज किया जाना उचित है।<br>मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थीगणों के पिता का नाम गंगोल्या दर्ज होना पाया जाता है परन्तु अशोभनीय होने से गंगोल्या के स्थान पर गंगाराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर गंगोल्या के स्थान पर गंगाराम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**छबड़ा, जिला बारां (राज0)** | |